

12/09/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अमरपत उपा  
वदल हेतु अवसर चाघ जो दिया गया।  
पत्रावली वास्ते वदल दि 15/09/25 को  
पेश हो।

*[Signature]*  
12/9/25

15/9/25

~~पत्रावली का अवलोकन किया गया~~  
पत्रावली पेश हुई। वकील अमरपत उपा  
वदल का प/स 212 RT Act के परिपेक्ष्य  
में पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
वदल पर मनन किया गया। वादकर्ता  
आराजी की लेकर इती व्यापार में एक  
अन्य प्रकरण एन 87/2022 अन्तर्गत धारा  
131, 136 LR Act अंतर्गत है जिसमें राजस्व  
मन्त्रों की दुकली का अनुबोध चाहा गया  
है अतः प्रकरण एन 87/2022 के निस्तारण  
होने तक ग्राम गैलाना तहसील पिडावा  
की वादकर्ता आराजी खण्ड नं 329 के राजस्व  
रिकार्ड एवं सीके की यथास्थिति बनाये  
रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की  
जाती है। प्रकरण में सल सुमाल होकर  
नाम्बर से कम होकर मूल्यांकन के साथ  
संलग्न है।

*[Signature]*  
15/9/25

उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला अलावाइ (राज.)

